



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र सं. - 1083/2026

सौरभ यादव @ शेर सिंह @ शेरा

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : अतुल वर्मा, अखिलेंद्र प्रताप सिंह, विनोद कुमार यादव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शा. अ.

न्यायालय संख्या- 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध संख्या 679/2025, अंतर्गत धारा 309(6), 103(1), 238, 3(5) भा.न्या.सं. और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत, थाना - चिनहट, जिला - लखनऊ, मामले में जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. इस प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है।
4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा दर्शाया गया मामला पूर्णतः असत्य, मनगढ़ंत और झूठा है।
5. इसके बाद आगे निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त अखिल और अरविंद सिंह उर्फ कल्लू, जिनकी भूमिका समान थी, को पहले ही क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 796/2026 और आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 12043/2025 में पारित आदेशों दिनांक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17.02.2026 और 27.01.2026 के तहत जमानत पर रिहा किया जा चुका है। संदर्भित आदेशों में से एक का प्रासंगिक अंश—अर्थात् आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 796/2026 में दिनांक 17.02.2026 को पारित आदेश—नीचे उद्धृत किया गया है:

1. आज दायर किया गया प्रति शपथ पत्र अभिलेख पर लिया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध संख्या- 0679/2025 अंतर्गत धारा 309(6)/103(1)/238/3(5) भा.न्या.सं., थाना-चिनहट, ज़िला-लखनऊ मामले में जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रार्थी को इस मामले में झूठा फँसाया गया है।
5. यह भी कहा गया है कि सह-अभियुक्त अरविंद सिंह उर्फ कल्लू को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 12043/2025 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2026 के तहत पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आदेश दिनांक 27.01.2026 का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-
- "2. यह वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से, प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध संख्या 0211/2025 अंतर्गत धारा 103(1), 309(6), 238, 3(5) भा.न्या.सं. और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25, थाना - मलिहाबाद, ज़िला - लखनऊ मामले में जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।"
3. इस प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फँसाया गया है।
4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि यह एक 'अनसुलझी हत्या' का मामला है। अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मौजूद

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है, और यहाँ तक कि किसी ने भी मृतक को अंतिम बार जीवित अवस्था में नहीं देखा है।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि विवेचना के दौरान सह-अभियुक्तों के बयानों में प्रार्थी का नाम प्रकाश में आया, जिन्हें 22.09.2025 को पकड़ा और गिरफ्तार किया गया था। सह-अभियुक्तों के अनुसार, प्रार्थी भी शिकायतकर्ता के पुत्र सर्वेश यादव के अपराध/हत्या में शामिल था, जिसके संबंध में शुरू में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके अनुसार मृतक 20.08.2025 से लापता था।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया कि शव/कंकाल सह-अभियुक्तों सौरभ यादव, विजय यादव और अखिल यादव की निशानदेही पर एक खुली जगह से बरामद किया गया था। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद यह निवेदन किया कि आज तक, प्रार्थी को अपराध से जोड़ने वाली डी.एन.ए. रिपोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में, प्रार्थी — जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, और जो 29.10.2025 से जेल में निरुद्ध है—जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, परीक्षण में सहयोग करेगा, और अभियोजन पक्ष के साक्षियों को भी प्रभावित नहीं करेगा।

7. विद्वान अ.शा.अ. ने प्रार्थी की प्रार्थना का विरोध किया है। तथापि, वे प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क का खंडन नहीं कर सके।

8. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अ.शा.अ. द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, तथा प्रार्थना पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की सामग्री का अवलोकन करने के बाद—और मामले के गुण-दोष में जाए बिना—यह न्यायालय इस मत का है कि:

इस प्रार्थना पत्र में सार है और तदनुसार, इसे स्वीकार किया जाता है।

9. प्रार्थी - अरविंद सिंह @ कल्लू को रिहा किया जाए.....”

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि प्रार्थी 21.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यह भी निवेदन किया गया है कि ऐसी कोई आशंका नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के बाद, प्रार्थी विधि की प्रक्रिया से भाग जाएगा या अन्यथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा, और निकट भविष्य में परीक्षण के पूरा होने की संभावना अत्यंत क्षीण है। इन परिस्थितियों में, प्रार्थी जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

6. विद्वान अ.शा.अ. ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु वे अभियुक्त-प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख का अवलोकन करते हुए, और साथ ही आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए—जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और सह-अभियुक्तों से संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क भी शामिल हैं—तथा यह देखते हुए कि सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है; और हिरासत की अवधि के साथ-साथ निकट भविष्य में परीक्षण के समाप्त होने की संभावना को भी ध्यान में रखते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।

8. प्रार्थी -अखिल यादव को उपर्युक्त अपराध मामले में जमानत पर रिहा किया जाए....."

6. इन परिस्थितियों में, प्रार्थी —जिसका एक आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दायर शपथ पत्र के प्रस्तर 39 में दिया गया है, और जो 22.09.2025 से जेल में निरुद्ध है—समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा, और अभियोजन पक्ष के साक्षियों को भी प्रभावित नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. विद्वान् अ.शा.अ. ने प्रार्थी की प्रार्थना का विरोध किया है। तथापि, वे प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क का खंडन नहीं कर सके।
8. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अ.शा.अ. द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, तथा प्रार्थना पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की सामग्री का अवलोकन करने के साथ-साथ प्रार्थी के आपराधिक इतिहास और समानता के आधार को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष में जाए बिना—यह न्यायालय इस मत का है कि इस प्रार्थना पत्र में सार है; अतः इसे स्वीकार किया जाता है।
9. प्रार्थी - सौरभ यादव @ शेर सिंह @ शेरा को, उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय ज़मानतें (जिनमें से एक परिवार का सदस्य/निकट संबंधी होना चाहिए) जो उसी राशि की हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:-
 - I. प्रार्थी विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
 - II. प्रार्थी सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - III. प्रार्थी अभियोजन साक्षी(साक्षियों) पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
 - IV. प्रार्थी कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
 - V. प्रार्थी, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - VI. प्रार्थी निर्धारित प्रत्येक तारीख पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
 - VII. प्रार्थी, साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
 - VIII. प्रार्थी, धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुरूप आदेश पारित करे।
11. चूँकि यह आदेश प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

17 मार्च, 2026

एमएल/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।